उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की VIth बैठक

दिनांक 20.03.2013 के कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की छठी बैठक **डा0 राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2012 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय–108/II, वसन्त विहार, देहरादून स्थित 'बोर्ड रूम' में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री समीर सिन्हा	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2	डा0 धनन्जय मोहन	प्राध्यापक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून।
3	श्री पी0टी0 भूटिया	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, देहरादून।
4	श्री महिधर सिंह तोमर	उप कृषि निदेशक, प्रतिनिधि, कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।
5	डा0 आर0एस0 नेगी	संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, उत्तराखण्ड।
6	डा0 वीना चन्द्रा	प्रभाग प्रमुख, वनस्पति विज्ञान प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
7	डा0 विजय प्रसाद, भटट	वैज्ञानिक, एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर
8	डा0 आई0डी0 भटट	वैज्ञानिक, गो0ब0पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा।
9	डा0 एच0बी0 नैथानी	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून–विशेष आमंत्री।
10	डा0 एच0सी0 पाण्डेय	वैज्ञानिक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून–विशेष आमंत्री।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्रांक–266/जै0वि0बो0–16–3 दिनांक 07.03.2013 एवं पत्रांक 273/जै0वि0बो0–16–3 दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा बैठक का **'एजेण्डा नोट'** सभी आमंत्रियों को पूर्व में प्रेषित कर दिया गया था। उक्त बैठक में विभिन्न बिन्दुओं/एजेण्डा सम्बन्धी विषयों पर हुए विचार–विमर्श का विवरण निम्नवत् है –

1. एजेण्डा नं0 1 : अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के प्रतिभागियों का स्वागत एवं बोर्ड की पूर्व की गतिविधियों से परिचित कराना :

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड के सदस्यों एवं विशिष्ट आमंत्रियों का स्वागत करते हुए जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा इसमें निहित महत्वपूर्ण प्राविधानों, अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु तीन स्तरीय प्रणाली (NBA, SBB, Local Body) तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में किये गये क्रिया–कलापों से अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अधिकार एवं कर्त्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए सम्मानित सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड एक स्वायत्त विधिक बोर्ड/autonomous Statutory Board है। इसी अनुक्रम में उनके द्वारा Convention on Biological Diversity, जैव विविधता अधिनियम के 03 प्रमुख सिद्धान्तों, पारम्परिक ज्ञान एवं उनके उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया। उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जैव विविधता अधिनियम का बौद्धिक सम्पदा अधिनियम से सह–सम्बन्ध, जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा जैव विविधता

पंजिका बनाये जाने के उपयोग एवं लाभ तथा इस प्रक्रिया में विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के महत्व पर बल दिया गया।

2. एजेण्डा नं0 2 : सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की पंचम बैठक 08.01.2013 के कार्यवृत्त के सन्दर्भ में बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराना।

- सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों व विशिष्ट आमंत्रियों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में 7541 ग्राम पंचायत हैं जिसमें जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन किया जाना है ।
- सदस्य सचिव द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक गठित की गयी जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के बारे में सभी सदस्यों व आमंत्रियों को अवगत कराया गया।
- सदस्य सचिव द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के वर्ष 2013–14 में 1000 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन करने के लक्ष्य के बारे में सभी सदस्यों व आमंत्रियों को अवगत कराया गया।
- वर्ष 2013–14 के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य–योजना की जानकारी भी बोर्ड के सदस्यों को दी गयी।

3. एजेण्डा नं0–3 : लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय प्रोटोकाल (BCP) बनाने के संबंध में अवगत कराना।

जैव सांस्कृतिक समुदाय प्रोटोकाल (BCP) के संबंध मे बोर्ड के सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि "लोक चेतना मंच" संस्था द्वारा झूनी, पिथौरागढ हेतु सम्भवतः देश का प्रथम BCP तैयार किया गया है। तैयार की गयी उक्त BCP की प्रति सदस्यों व विशेष आमंत्रियों को वितरित की गयी।

4. एजेण्डा नं0–4 : उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय हेतु सप्ताह में पाँच दिवसीय कार्य संचालन का अनुमोदन

अवगत कराया गया कि बोर्ड कार्यालय से राजकीय कार्यों के संबंध में राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से सम्पर्क कर सूचनाओं का आदान–प्रदान अपेक्षित है जहाँ सप्ताह में पांच दिवसीय कार्य संचालन की प्रथा है। बैठक के दौरान यह उचित समझा गया कि उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड में भी उपरोक्त कार्यालयों/संस्थाओं की भांति सप्ताह में पांच दिनों का कार्य संचालन लागू किया जाए। उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय में भी सप्ताह में पाँच दिवसीय कार्य संचालन लागू किये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। कार्यालय संचालन का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया।

5. **एजेण्डा नं0–5 : लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (TSG) के गठन सम्बन्धी अनुमोदन।**

उत्तराखण्ड राज्य में लोक जैव विविधता पंजिका बनाने तथा इसके प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य एवं जिले स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (TSG) गठित किया जाना अपेक्षित है जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिशा–निर्देश भी दिये गये हैं। उक्त TSG में विभिन्न विभागों/संस्थानों/शैक्षिक संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को सम्मलित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अनुक्रम में यह सहमति बनी कि उक्त TSG के गठन हेतु सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की जिलेवार सूची बोर्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

6. **एजेण्डा नं0–6 :** उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता नियमावली, 2012 का आलेख पूर्व में बोर्ड द्वारा शासन को प्राख्यापन हेतु प्रेषित किया गया था। इस अनुक्रम में शासन द्वारा उक्त नियमावली के कतिपय प्राविधानों को संशोधित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में इस बिन्दु पर भी विचार हुआ कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में अध्यक्ष के पद पर अपर सचिव, से अनिम्न स्तर के अधिकारी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य जैव विविधता बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर अपर प्रमुख वन संरक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति किया जाना उचित होगा। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्यों द्वारा किया गया।

7. **एजेण्डा नं0–7 : अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य बिन्दु पर चर्चा तथा सदस्यों से प्राप्त अन्य सुझाव।**

- स्कूली पाठ्यक्रम में जैव विविधता एवं सम्बन्धित ज्ञान को शामिल किये जाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।
- जैव विविधता के प्रचार–प्रसार हेतु दूरदर्शन एवं एफ0एम0 रेडियो का उपयोग किया जाये।
- डा0 वीना चन्द्रा, प्रमुख, वनस्पति विज्ञान प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा यह अवगत कराया गया कि वन अनुसंधान के क्षेत्र में "Investing in Nature" शीर्षक पर केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था तथा ऐसे कार्यक्रम जैव विविधता संरक्षण हेतु काफी उपयोगी हो सकते हैं। उक्त कार्यशाला सम्बन्धी Module उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध डा0 वीना चन्द्रा से किया गया।

- डा0 आर0एस0 नेगी, पशु–पालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि World Veterinary Day पर पशु–पालन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर पशुपालन विभाग एवं Line Dept के अधिकारियों को जैव विविधता के विषय में Sensitize किया जा सकता है।

- डा0 धन्नजय मोहन, प्राध्यापक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित किये जाने हेतु न्यायपूर्ण मापदण्ड निर्धारित होने चाहिए। इस अनुक्रम में उन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश की जानकारी दी गयी जिसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करायी गयी जाने का आश्वासन दिया गया।

- उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड में कृषि/उद्यान/मत्स्य पालन/पशुपालन आदि विभागों से समूह 'ख' के स्तर के कार्मिकों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर अथवा उक्त विभागों के ऐसे समकक्ष सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आउट सोर्सिंग/कान्ट्रैक्ट पर रखे जाने सम्बन्धी सहमति व्यक्त की गयी।

- चयनित संस्थाओं से प्राप्त पीबीआर0 की एक–एक प्रति सभी बोर्ड के सदस्यों को उनके सुझाव हेतु प्रेषित की जाये। सदस्यों से प्राप्त सुझावों को अगली बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

- जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के प्रभावी प्रचार एवं प्रसार हेतु राज्य के शिक्षण संस्थानों यथा स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय आदि में छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर भी सदस्यों द्वारा बल दिया गया।

- Uttarakhand Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP) की प्रति सभी बोर्ड के सदस्यों को भेजकर उनसे सुझाव प्राप्त करने का निर्णय हुआ। इस अनुक्रम में उत्तराखण्ड BSAP की तुलना National Biodiversity Strategy and Action Plan (NSAP) से किये जाने तथा इसके समस्त प्रावधान NSAP के ही अनुरूप होने सम्बन्धी बाध्यता के सुझाव अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये। सदस्यों से प्राप्त सुझावों को अगली बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

- राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई महत्वपूर्ण मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसे मेलों में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रतिभाग कर आम जनता को जैव विविधता संरक्षण के प्रति आकर्षित एवं जागरूक किया जा सकता है।

- उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वर्ष 2013–14 की कार्ययोजना का Gantt Chart तैयार कर सभी बोर्ड के सदस्यों को भेजा जाना है।

पत्रांक 299 / 16-3 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, न्यू, फारेस्ट, देहरादून–विशिष्ट आमंत्री।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा–विशिष्ट आमंत्री।
5. निदेशक, मत्स्य पालन, बड़ासी ग्रान्ट, धन्याड़ी, रायपुर, उत्तराखण्ड, देहरादून– विशिष्ट आमंत्री।
6. निदेशक, भारतीय वन्य जन्तु सर्वेक्षण, 292, कॉलागढ़ रोड़, देहरादून– विशिष्ट आमंत्री।
7. डा0 एच0बी0 नैथानी, (से0 वैज्ञानिक), 7–ए जुयाल फ्लैटस, 12 सी, न्यू रोड़, अरोमा होटल, निकट पासपोर्ट आफिस–विशिष्ट आमंत्री। ।
8. डा0 एच0सी0 पाण्डेय, वैज्ञानिक–डी, संयुक्त निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, 192 कॉलागढ़ रोड़, देहरादून–विशिष्ट आमंत्री।

संलग्न–यथोपरि।

(समीर सिन्हा)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी Normally Traded Commodities (NTC) की सूची बोर्ड के सदस्यों एवं आमंत्रियों को उपलब्ध कराते हुए सुझाव आमंत्रित किये जाने पर सहमति बनी।

- जैव विविधता बोर्ड को आर्थिक रूप से सक्षम एवं सुदृढ़ बनाये जाने के दृष्टिकोण से विभिन्न Funding Agency की पहचान करने की आवश्यकता पर भी अध्यक्ष महोदय द्वारा बल दिया गया।

- बोर्ड की इस बैठक में मुख्य वन संरक्षक आजीविका एवं एन.टी.एफ.पी., उत्तराखण्ड तथा निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड उपस्थित नहीं हो पाये। भविष्य हेतु अनुरोध किया जाता है कि बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया गया कि निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड तथा निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया जबकि शासन द्वारा उन्हें ''पदेन सदस्य'' घोषित किया गया हैं।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के **धन्यवाद** के साथ बैठक का समापन हुआ।

अनुमोदित

(डा0 राकेश शाह)	(समीर सिन्हा)
अध्यक्ष,	सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,	उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।	देहरादून।

S. Prasad